

न्यायालय:- आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी
चन्देरी जिला-अशोकनगर म0प्र0

दांडिक प्रकरण क- 57 / 2013

संस्थित दिनांक- 01.03.2013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा
आरक्षी केन्द्र चंदेरी
जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

विरुद्ध

भुजबल लोधी पुत्र उदेश्य सिंह लोधी उम्र 30 साल
निवासी ग्राम नयाखेडा थाना चंदेरी
जिला अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्त

-: निर्णय :-

(आज दिनांक 06.09.2017 को घोषित)

- 01-अभियुक्त के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 25 (1)(1-बी) बी आर्म्स एक्ट के आरोप है कि उसने दिनांक 15.02.2013 को समय 11:35 बजे वन विभाग पुलिस चौकी के सामने आमरोड नयाखेडा पर सार्वजनिक स्थान पर तुमने अवैध अपने आधिपत्य में बिना अनुज्ञप्ति के मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क्रमांक 6312-6552 (1-बी)(1) दिनांक 22.11.1974 के उल्लंघन में धारदार छुरी रखे पाये गये।
- 02-अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 15.02.2013 को मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति नयाखेडा वन विभाग पुलिस के पास सामने रोड पर के किनारे कमर में छुरी खुरसे खड़ा है। अपराध करने के उद्देश्य से हमराह फोर्स राहगीर गवाह भूरा उर्फ शिवराज, भैयालाल यादव को साथ लेकर मुखबिर की सूचना पर बताये स्थान पर पहुंचे, तो एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा जिसे हमराह आरक्षक अरविंद सिंह, आरक्षक अजय सिंह के तथा राहगीर गवाह की मदद से घेर कर पकड़ा तो उससे नाम पूछने पर उसने अपना नाम भुजबल लोधी पुत्र उदेश्य सिंह लोधी निवासी नयाखेडा थाना चंदेरी का बताया। आरोपी की तलाशी ली तो दाहिने तरफ कमर में छुरी खुरसे मिला जिसे छुरी रखने एक लाईसेंस पूछा तो न होना बताया। अभियुक्त भुजबल का उक्त कृत्य धारा 25 (1)(1-बी) बी आर्म्स एक्ट का दण्डनीय होने से साक्षी भूरा उर्फ शिवराज पाल एवं भैयालाल यादव के समक्ष जप्ती पंचनामा तैयार कर जप्त किया

तथा आरोपी भुजबल को गिरफ्तार किया गया, तलाशी ली गयी, तो पेंट की दाहिनी जेब से नगदी 2030/- रुपये और एक मोबाईल फोर्म कंपनी का लाल रंग का मिला जो गिरफ्तार में इंद्रराज किया गया। पुलिस थाना चंदेरी में वापसी कर अभियुक्त के विरुद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध कराई। फरियादी की रिपोर्ट पर से अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस थाना चंदेरी के अपराध क्रमांक-58/13 अंतर्गत धारा-25 (1)(1-बी) बी आर्म्स एक्ट भा0द0वि0 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03-अभियुक्त को उसके विरुद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा-313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है।

04-प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :-

1.	क्या अभियुक्त दिनांक 15.02.2013 को समय 11:35 बजे वन विभाग पुलिस चौकी के सामने आमरोड नयाखेडा पर सार्वजनिक स्थान पर अवैध रूप से अपने आधिपत्य में बिना अनुज्ञप्ति के मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क्रमांक 6312-6552 (1-बी)(1) दिनांक 22.11.1974 के उल्लंघन में धारदार छुरी रखे पाये गये ?
2.	दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

05- अभियोजन की ओर से अपने समर्थन में प्रकरण में जप्तीकर्ता एवं अनुसंधानकर्ता अधिकारी सहायक उपनिरीक्षक नरेश सिंह असा 5 सहित जप्ती व गिरफ्तारी के साक्षी भूरा उर्फ शिवराज (अ0सा0-1) व भैयालाल (अ0सा0-2) एवं हमराह पुलिस साक्षी आरक्षक अजय सिंह परिहार (अ0सा0-3) आरक्षक अरविंद (अ0सा0-6) के कथनों सहित प्रधान आरक्षक रामगोविंद सोनी (अ0सा0-4) जिसके द्वारा असल अपराध की कायमी पुलिस थाना चंदेरी में की गई, के कथन न्यायालय में कराये गये।

- 06— घटना में जप्ती व गिरफ्तारी के साक्षी शिवराज (अ0सा0-1) व भैयालाल (अ0सा0-2) ने हालांकि अपने न्यायालीन कथनों में अभियोजन का कोई समर्थन नहीं किया है। इन दोनों ही साक्षियों ने जप्ती पत्रक प्रदर्श-पी-1 व गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श-पी-2 पर अपने हस्ताक्षर होना तो स्वीकार किये हैं, परन्तु इन दोनों ही साक्षियों का कहना है कि उन्हें जानकारी नहीं है कि पुलिस ने किस बात के हस्ताक्षर कराये थे। अभियोजन का समर्थन न करने के कारण इन दोनों साक्षियों को पक्षविरोधी कर अभियोजन के द्वारा उनका विस्तृत परीक्षण किया गया परन्तु इन दोनों ही साक्षियों ने सहायक उपनिरीक्षक नरेश सिंह (अ0सा0-5) के उनके सामने मौके पर अभियुक्त से की गई जप्ती व गिरफ्तारी की कार्यवाही का खण्डन किया है तथा पुलिस को भी कोई कथन न देना बताया है।
- 07— शिवराज (अ0सा0-1) व भैयालाल (अ0सा0-2) मौके पर सहायक उपनिरीक्षक नरेश सिंह (अ0सा0-5) के द्वारा की गई जप्ती व गिरफ्तारी प्रदर्श-पी-1 व 2 के साक्षी हैं, परन्तु इन साक्षियों के द्वारा अभियोजन का समर्थन न करने से इन साक्षियों के कथनों से अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। यहां यह उल्लेखनीय है कि निश्चित रूप से जप्ती व गिरफ्तारी के साक्षियों के द्वारा प्रकरण में अभियोजन का समर्थन नहीं किया गया। मात्र उक्त कारण से सहायक उपनिरीक्षक नरेश सिंह (अ0सा0-5) के द्वारा कथित कार्यवाही को एवं उनके द्वारा दिये गये न्यायालीन कथनों को संदेह की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता और मात्र इस कारण से वह पुलिसकर्मी है उसकी साक्ष्य अविश्वसनीय नहीं मानी जा सकती है।
- 08— विधि इस संबंध में स्पष्ट है कि यदि जप्ती के गवाहों के द्वारा जप्ती की कार्यवाही का समर्थन नहीं भी किया गया तब भी पुलिस साक्षीगण की साक्ष्य यदि विश्वसनीय है तो उस पर विश्वास किया जा सकता है। इस संबंध में न्यायालय का अभिमत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत...**नाथू सिंह बनाम् मध्यप्रदेश राज्य A.I.R 1973 S.C. 2783** एवं मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत...**काले बाबू बनाम् मध्यप्रदेश राज्य 2008 (4) M.P.H.T. 397** में प्रतिपादित न्यायमत पर आधारित हैं।
- 09— अतः पंच साक्षियों के द्वारा जप्ती व गिरफ्तारी की कार्यवाही का समर्थन न करने के कारण अभिलेख पर सहायक उपनिरीक्षक नरेश सिंह (अ0सा0-5) सहित हमराह आरक्षक अजय सिंह (अ0सा0-3) व अरविंद (अ0सा0-6) की

साक्ष्य का सूक्ष्म मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है। सहायक उपनिरीक्षक नरेश सिंह (अ0सा0-5) का अपने कथनों में कहना है कि दिनांक-15.02.2013 को गश्त के दौरान पिपरौद बेरियल के पास उसे मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति कमर में छुरी खुरचे हुये खड़ा है, जिसकी सूचना से उसने आरक्षक अजय (अ0सा0-3), आरक्षक अरविंद (अ0सा0-4) व साक्षी भैयालाल (अ0सा0-2), भूरा उर्फ शिवराज (अ0सा0-1) को अवगत कराने के बाद वह उन्हें साथ में लेकर नयाखेडा वनविभाग की चौकी पहुंचा था, जहां पर पुलिस को देखकर अभियुक्त भागने लगा था, जिसे घेरा बंदी करके पकड़ा गया और तलाशी ली गई तो उसकी कमर से एक धारदार छुरी बरामद हुई, जिसको रखने का लाइसेंस मांगने पर अभियुक्त के द्वारा लाइसेंस न होना बताया गया।

- 10- सहायक उपनिरीक्षक नरेश सिंह (अ0सा0-5) दिनांक-15.02.2013 को गश्त के समय पिपरौद बेरियल पर मुखबिर के द्वारा वनविभाग की चौकी नयाखेडा पर कोई व्यक्ति के छुरी खुरचे हुये खड़ा होने की सूचना मिली थी, इस इस संबंध में हमराह आरक्षक अरविंद (अ0सा0-6) एवं अजय सिंह परिहार (अ0सा0-3) ने भी अपने न्यायालीन कथनों में अभियोजन के समर्थन में कथन देते हुये व्यक्त किया है कि है कि घटना दिनांक को वह लोग स्वयं सहायक उपनिरीक्षक नरेश सिंह (अ0सा0-5) के साथ थे एवं सहायक उपनिरीक्षक नरेश सिंह (अ0सा0-5) ने मुखबिर की सूचना से शिवराज (अ0सा0-1) व भैयालाल (अ0सा0-2) का अवगत करा कर उन्हें साथ लेकर वह वनविभाग की चौकी नयाखेडा पहुंचे थे।
- 11-अजय सिंह परिहार (अ0सा0-3) ने हालांकि अपने मुख्यपरीक्षण में घटना का दिनांक स्पष्ट नहीं किया है, परन्तु इस साक्षी ने अपने मुख्यपरीक्षण में घटना वर्ष 2013 की होने के संबंध में स्पष्ट कथन दिये हैं। घटना दिनांक को सहायक उपनिरीक्षक नरेश सिंह (अ0सा0-5) को गश्त के दौरान पिपरौद बेरियल पर मुखबिर के द्वारा नयाखेडा वन चौकी के पास किसी व्यक्ति को छुरी खुरचे हुये खड़ा होने की सूचना प्राप्त हुई थी और उक्त सूचना से सहायक उपनिरीक्षक नरेश सिंह (अ0सा0-5) ने हमराह आरक्षक अजयसिंह परिहार (अ0सा0-3) व अरविंद (अ0सा0-6) सहित शिवराज (अ0सा0-1) व भैयालाल (अ0सा0-2) के अवगत कराया था और उन्हें साथ लेकर वह लोग वन चौकी नयाखेडा पहुंचे थे।
- 12- सहायक उपनिरीक्षक नरेश सिंह (अ0सा0-5) सहित आरक्षक अजय सिंह (अ0सा0-3) व आरक्षक अरविंद (अ0सा0-6) की साक्ष्य उनके प्रतिपरीक्षण में भी

खण्डित नहीं हुई। सहायक उपनिरीक्षक नरेश सिंह (अ0सा0-5) के द्वारा उपरोक्त दिये गये कथनों की पुष्टि स्वयं उसके द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श-पी-5 एवं हमराह साक्षी आरक्षक अजय सिंह परिहार (अ0सा0-3) व अरविंद सिंह (अ0सा0-6) के द्वारा न्यायालय में दिये गये कथनों से होती हैं। अतः अभिलेख पर आई साक्ष्य से यह तो प्रमाणित होता है कि दिनांक-15.02.2013 को गश्त के दौरान सहायक उपनिरीक्षक नरेश सिंह (अ0सा0-5) को पिपरोद बेरियल पर मुखबिर के द्वारा नयाखेडा वन चौकी पर किसी व्यक्ति के पास छुरी रखे होने की सूचना मिली थी और उक्त सूचना की तस्दीक के लिये वह हमराह आरक्षक अजय सिंह (अ0सा0-3) व अरविंद (अ0सा0-6) सहित शिवराज (अ0सा0-1) व भैयालाल (अ0सा0-2) के साथ मौके पर पहुंचे थे।

13- सहायक उपनिरीक्षक नरेश सिंह (अ0सा0-5) को मुखबिर की सूचना प्राप्त होने के पश्चात् जप्ती व गिरफ्तारी के साक्षी शिवराज (अ0सा0-1) व भैयालाल (अ0सा0-2) पिपरोद बेरियल पर ही मिल गये थे, इस संबंध में नरेश सिंह (अ0सा0-5) ने अपने मुख्यपरीक्षण में ही स्पष्ट करते हुये यह कथन दिये हैं कि वह मुखबिर की सूचना से साक्षियों को अवगत कराने के बाद उन्हें साथ लेकर नयाखेडा वनविभाग पहुंचा था। नरेश सिंह (अ0सा0-5) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-4 में यह स्पष्ट कथन दिये हैं कि उसे शिवराज (अ0सा0-1) व भैयालाल (अ0सा0-2) पिपरोद बेरियल पर मिले थे, जिन्हें वह साथ लेकर घटना स्थल पर पहुंचा था। अरविंद सिंह (अ0सा0-6) ने भी अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-3 में सहायक उपनिरीक्षक नरेश (अ0सा0-5) के कथनों की पुष्टि करते हुये यह कथन दिये हैं कि दरोगा जी ने पिपरोद बेरियल पर शिवराज (अ0सा0-1) व भैयालाल (अ0सा0-2) को बुलाया था और उन्हें वह अपने साथ लेकर मौके पर पहुंचे थे। अजय सिंह परिहार (अ0सा0-3) ने भी अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-3 में यह स्पष्ट कथन दिये हैं कि नरेश सिंह (अ0सा0-5) ने जप्ती व गिरफ्तारी से पहले ही गवाहों को बुला लिया था।

14- अतः घटना दिनांक-15.02.2013 को मुखबिर की सूचना गश्त के दौरान पिपरोद बेरियल पर प्राप्त होने के पश्चात् पिपरोद बेरियल से ही जप्ती व गिरफ्तारी के साक्षी शिवराज (अ0सा0-1) व भैयालाल (अ0सा0-2) को लेकर सहायक उपनिरीक्षक नरेश (अ0सा0-5) वन चौकी नयाखेडा पर सूचना की तस्दीक के लिये पहुंचे थे इस संबंध में अभिलेख पर अखण्डित साक्ष्य उपलब्ध है जिससे साक्षियों के कथनों से इस बात पर लेशमात्र भी संदेह नहीं रह जाता है कि

मुखबिर की सूचना प्राप्त होने पर पिपरोद बेरियल पर जप्ती व गिरफ्तारी के साक्षियों को सहायक उपनिरीक्षक नरेश सिंह (अ0सा0-5) ने अपने साथ लिया था और मौके पर पहुंचे थे।

- 15— सहायक उपनिरीक्षक नरेश सिंह (अ0सा0-5) ने अपने मुख्यपरीक्षण में थाने से रवानगी का समय एवं जप्ती व गिरफ्तारी के समय का उल्लेख नहीं किया है जिसे बचाव पक्ष की ओर से उसके प्रतिपरीक्षण की चुनौती दी गई है। परन्तु यह उल्लेखनीय है कि इस साक्षी ने भले ही इस संबंध में अपने मुख्यपरीक्षण में कोई कथन न दिये हो, परन्तु प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-4 में इस साक्षी का यह स्पष्ट कहना है कि उसके द्वारा जप्ती व गिरफ्तारी की कार्यवाही 11:00 से 12:00 बजे की बीच की थी। जिसकी पुष्टि प्रदर्श-पी-1 के जप्ती पत्रक एवं प्रदर्श-पी-2 के गिरफ्तारी पत्रक में उल्लेखित समय से होती हैं। आरक्षक अजय सिंह परिहार ने भी घटना के समय को लेकर अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-2 में यह स्पष्ट किया है कि वह गश्त के लिये 10:00-11:00 बजे के करीब गये थे तथा 12:00 बजे से पहले वापस आ गये थे। अरविंद सिंह (अ0सा0-6) ने भी अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-4 में यह स्पष्ट किया है कि अभियुक्त को 11:00 बजे के आसपास रेंज चौकी के पास गिरफ्तार किया था।
- 16— सहायक उपनिरीक्षक नरेश सिंह (अ0सा0-5) सहित हमराह आरक्षक अजय सिंह (अ0सा0-3) व अरविंद (अ0सा0-6) ने अपने अपने मुख्यपरीक्षण में भले रवानगी का समय व जप्ती एवं गिरफ्तारी के समय का स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुये कथन नहीं दिये, परन्तु इन साक्षियों के द्वारा प्रतिपरीक्षण में दिये गये उपरोक्त कथनों से यह स्पष्ट होता है कि जो भी कार्यवाही सहायक उपनिरीक्षक नरेश सिंह (अ0सा0-5) के द्वारा की गई वो सुबह 10:00 बजे के बाद थाने से रवाना होकर इलाका गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना प्राप्त होने पर 11:00 से 12:00 बजे के बीच जप्ती व गिरफ्तारी की कार्यवाही की गई थीं।
- 17— सहायक उपनिरीक्षक नरेश सिंह (अ0सा0-5) सहित हमराह आरक्षक अजय सिंह (अ0सा0-3) व अरविंद (अ0सा0-6) ने अपने न्यायालीन कथनों में यह अखण्डित साक्ष्य दी है, अभियुक्त को जब वन चौकी के पास पकड़ा था, तो उसके पास से एक छुरी लोहे की बरामद की गई थीं तथा साथ ही एक मोबाईल व 2030/- रुपये भी बरामद हुये थे। जिसकी पुष्टि प्रकरण में दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श-पी-5 सहित जप्ती व गिरफ्तारी पत्रक

प्रदर्श-पी-1 व 2 से होती है। छुरी के माप के संबंध में बचाव पक्ष के द्वारा इन साक्षियों के प्रतिपरीक्षण में विशेष रूप से चुनौती दी गई जिसके संबंध में अजय सिंह (अ0सा0-3) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-2 में एवं अरविंद (अ0सा0-6) ने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-4 में छुरी का माप बताने में असमर्थता व्यक्त की हैं।

18- अजयसिंह (अ0सा0-3) व अरविंद सिंह (अ0सा0-6) के द्वारा निश्चित रूप से अपने कथनों में प्रकरण में जप्तशुदा छुरी का माप स्पष्ट नहीं किया गया है, परन्तु सहायक उपनिरीक्षक नरेश सिंह (अ0सा0-5) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-6 में यह स्पष्ट किया है कि छुरी का कुल लंबाई एक बिलास्त छः अंगूल हैं, जिसका उल्लेख जप्तीपत्रक प्रदर्श-पी-1 में भी किया गया है। नरेश सिंह (अ0सा0-5) के द्वारा जप्ती पत्रक प्रदर्श-पी-1 न्यायालय में दिये गये कथनों में जप्त शुदा छुरी के माप इंच में नहीं बताया और हमराह आरक्षकों ने भी छुरी का माप बताने में असमर्थता व्यक्त की हैं। जिसके संबंध में यह उल्लेखनीय है कि साक्षियों के द्वारा पुलिस गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त को पकड़ा गया हैं। ऐसे समय में उनके पास माप के उपकरण होने के संबंध में उपधारणा नहीं की जा सकती है ऐसे समय में अनुमानित माप को देखते हुये ही आम तौर पर जप्ती व गिरफ्तारी की कार्यवाही की जाती है। मुख्य रूप से यह देखा जाना है कि नरेश सिंह (अ0सा0-5) के द्वारा छुरी का माप जो जप्तीपत्रक प्रदर्श-पी-1 एवं न्यायालयीय कथनों में उल्लेखित किया गया है उक्त छुरी प्रतिबंधित छुरी की श्रेणी में आती है अथवा नहीं।

19- सहायक उपनिरीक्षक नरेश सिंह (अ0सा0-5) के परीक्षण के समय जप्तशुदा छुरी पर आर्टिकल चिह्नित किये गये उक्त छुरी की लंबाई एक बिलास्त छः अंगूल नहीं हैं, ऐसी कोई प्रतिरक्षा बचाव पक्ष की नहीं है। जप्तशुदा छुरी की फल की चौड़ाई भले ही दो इंच से कम है, परन्तु फल की लंबाई छः इंच से अधिक हैं जिसके धारदार न होने के संबंध में बचाव पक्ष के द्वारा दिये गये सुझाव का नरेश सिंह (अ0सा0-5) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-6 में स्पष्ट रूप से खण्डन किया है। आर्टिकल "ए" की छुरी का आकार और प्रकार यह साबित करता है कि उक्त छुरी को मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क्रमांक 6312-6552 (1-बी)(1) दिनांक 22.11.1974 के तहत अपने अधिपत्य में रखना प्रतिबंधित है।

- 20— प्रकरण में निश्चित रूप से छुरी को कपड़े थैली में शीलबंद नहीं किया गया है परन्तु छुरी का अक्श जप्तीपत्रक पर उकेरा गया है और जप्ती पत्रक पर उकेरी गई छुरी ही आर्टिकल ए की छुरी है इस संबंध में कोई विवाद की स्थिति नहीं है। अतः जहां छुरी की पहचान सुनिश्चित हो वहां उसका मोके पर कपड़े की थैली में शीलबंद न होने से जप्ती कार्यवाही दुषित नहीं होती। जप्तीकर्ता अधिकारी सहायक उपनिरीक्षक नरेश सिंह (अ0सा0-5) के द्वारा अभियोजन के समर्थन में अखण्डित साक्ष्य दी गई है कि आर्टिकल “ए” की छुरी ही उन्होंने मुखबिर की सूचना पर से शिवराज (अ0सा0-1) व भैयालाल (अ0सा0-2) के समक्ष हमराह साक्षी अजयसिंह (अ0सा0-3) व अरविंद (अ0सा0-6) के समक्ष जप्त की थीं। जप्ती व गिरफ्तारी के साक्षियों ने भले ही सहायक उपनिरीक्षक नरेश सिंह (अ0सा0-5) की कार्यवाही का समर्थन न किया हो, परन्तु उनके द्वारा जप्ती व गिरफ्तारी पत्रकों पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया गया है। अजय सिंह (अ0सा0-3) व अरविंद (अ0सा0-6) के साक्ष्य से इस बात की पुष्टि होती है नरेश सिंह (अ0सा0-5) के द्वारा पिपरोद बेरियल पर प्राप्त मुखबिर की सूचना के आधार पर अभियुक्त को नयाखेडा वन चोकी के पास पकड़ा गया था और अभियुक्त के अधिपत्य से एक छुरी सहित मोबाईल व 2030/- रूपये जप्त किये गये थे। अभियुक्त के अधिपत्य से जप्त की गई छुरी आर्टिकल ए की छुरी है, इस संबंध में नरेश सिंह (अ0सा0-5) की साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण अभिलेख पर नहीं है।
- 21— बचाव पक्ष की ओर से नरेश सिंह (अ0सा0-5) सहित अरविंद (अ0सा0-6) व अजय सिंह (अ0सा0-3) के प्रतिपरीक्षण में यह प्रतिरक्षा ली गई है कि उनके द्वारा अभिलेख देखकर कथन दिये गये हैं। जिस पर इन साक्षियों ने सहमति दी है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय होगा कि पुलिस के साक्षी दिन प्रतिदिन कई विवेचनाओं में एवं कई प्रकार की जप्ती व गिरफ्तारी की कार्यवाही में अपने कार्य के दौरान जाते हैं ऐसे में किसी भी पुलिसकर्मी के लिये यह संभव नहीं है कि वह मात्र अभियुक्त का नाम या प्रकरण क्रमांक देखकर पूरी घटना की याददाश्त ताजा कर सके। ऐसे में अभिलेख के अवलोकन उपरांत साक्ष्य दी गई है तो बचाव पक्ष के पास साक्षियों के प्रतिपरीक्षण का पूर्ण अवसर प्राप्त था, मात्र उक्त कारण से साक्षियों की साक्ष्य को नकारा नहीं जा सकता है।
- 22— बचाव पक्ष की ओर से यह चुनौती भी दी गई है कि जप्तीकर्ता अधिकारी सहायक उपनिरीक्षक नरेश (अ0सा0-5) के द्वारा प्रकरण में स्वयं ही विवेचना

की गई है। जिससे उसके द्वारा की गई कार्यवाही दूषित हो जाती है। यहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत...एस0 जीवनाथम विरुद्ध राज्य A.I.R. 2004 S.C. 4608 में प्रतिपादित विधि का उल्लेख किया जाना आवश्यक है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि यदि शासकीय कर्तव्यों के दौरान किसी पुलिस कर्मी के द्वारा जप्ती व गिरफ्तारी के दौरान प्रकरण का अनुसंधान भी किया जावे तो उसे हितबद्ध व्यक्ति नहीं माना जा सकता है। सहायक उपनिरीक्षक नरेश सिंह (अ0सा0-5) के द्वारा प्रकरण में की गई कार्यवाही एवं रामगोविंद (अ0सा0-4) के द्वारा की गई असल कायमी अपने पदिये कर्तव्यों के निर्वाहन में की गई है, जिस पर अविश्वास करने का अभिलेख पर कोई कारण उपलब्ध नहीं है।

23- फलस्वरूप अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन यह युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह से सफल रहा है कि अभियुक्त दिनांक 15.02.2013 को समय 11:35 बजे वन विभाग पुलिस चौकी के सामने आमरोड नयाखेडा पर सार्वजनिक स्थान पर अवैध रूप से अपने आधिपत्य में बिना अनुज्ञप्ति के मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क्रमांक 6312-6552 (1-बी)(1) दिनांक 22.11.1974 के उल्लंघन में धारदार छुरी रखे पाया गया।

24- फलस्वरूप अभियुक्त भुजबल लोधी पुत्र उदेश्य सिंह लोधी के विरुद्ध आयुद्ध अधिनियम की धारा- 25 (1)(1-बी) बी आर्म्स एक्ट के आरोप साबित होते हैं। उपरोक्त आधार पर अभियुक्त भुजबल लोधी पुत्र उदेश्य सिंह लोधी को आयुद्ध अधिनियम की धारा 25 (1)(1-बी) बी आर्म्स एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोष सिद्ध घोषित किया जाता है।

25- अभियुक्त की आयु अपराध की प्रकृति, गंभीरता एवं प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुये अभियुक्त को आपराधिक परिवेक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है निर्णय दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु स्थगित किया जाता है।

निर्णय कुछ देर बाद पेश हो।

(असिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

26— दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त तथा उसके विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। उनके द्वारा व्यक्त किया गया अभियुक्त का प्रथम अपराध है अतः दण्ड देते समय सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाये। अभियुक्त पर आरोपित अपराध गंभीर प्रकृति का तथा इस तरह के कृत्य के अन्य गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं, अतः अभियुक्त पर आरोपित अपराध की प्रकृति एवं परिस्थितियों को देखते हुये अभियुक्त भुजबल लोधी पुत्र उदेश्य सिंह लोधी को आयुद्ध अधिनियम की धारा 25 (1)(1-बी) बी आर्म्स एक्ट के अपराध का दोषी पाते हुये उक्त अपराध के आरोप में 1 वर्ष (एक वर्ष) के सश्रम कारावास एवं 500/- रुपये (पांच सौ रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 7 दिवस (सात दिवस) का पृथक से साधारण कारावास भुगताया जावे।

27— अभियुक्त की न्यायिक निरोध में गुजारी गई अवधि दण्ड में समायोजित की जावे धारा-428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे। अभियुक्त के जमानत संबंधी मुचलके निरस्त किये जाते हैं। प्रकरण में जप्तशुदा लोहे की छुरी बाद मियाद अपील, अपील न होने की दशा में तोडमरोड कर नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन हो।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)